न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0 85/प्रा0पत्र/2023	तारीख दायरा 03.07.2023	तारीख फैसला 26.06.2024

लालचन्द राठौर आ0 नन्दलाल जाति तेली निवासी सुंवासा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री हेमराज राठौर
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खतौनी संख्या पुरानी 842 नया 562 की खसरा संख्या 3012/2444 रकबा 1.2949 हैक्टेयर वाके ग्राम सुंवासा तहसील तालेड़ा में विस्थित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है भूमि पर काबिज है एवं निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है उक्त आराजी के आस–पास के काश्तकारो ने उक्त आराजीयात को दबा लिया है और बाबत उनसे कहने पर वो लडाई –झगडा करने पर आमादा होते है इसलिए उक्त आराजी की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक है ताकि मौके पर शांति बनी रही किसी प्रकार का कोई विवाद न हो इस हेतु प्रार्थी कई बार तहसीलदार तालेडा को पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुका है किन्तु कोई सुनवाई नही की इसलिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि खतौनी संख्या पुरानी 842 नया 562 की खसरा संख्या 3012/2444 रकबा 1.2949 हैक्टेयर वाके ग्राम सुंवासा तहसील तालेड़ा की मौके पर पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी जरिये पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2024 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना एवं भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होना अंकित किया गया साथ ही प्रार्थी की कृषि भूमि पर किसी भी न्यायालय में स्थगन एवं वाद दायर नही होना अंकित किया।

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 842 नया 562 की खसरा संख्या 3012/2444 रकबा 1.2949 हैक्टेयर वाके ग्राम सुंवासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 की प्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 842 नया 562 की खसरा संख्या 3012/2444 रकबा 1. 2949 हैक्टेयर वाके ग्राम सुंवासा तहसील तालेड़ा संवत् 2076 में लालचन्द पुत्र नन्दलाल जाति तेली सा.

देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी की उपस्थिति में विवादित खतौनी संख्या पुरानी 842 नया 562 की खसरा संख्या 3012/2444 रकबा 1.2949 हैक्टेयर वाके ग्राम सुंवासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी की पत्थरगढी की जावे। वाद वर्णित आराजी पर यदि किसी न्यायालय में स्थगन अथवा भूमि विवादित हो तो नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner